

# ORDER - SHEET

COURT - ..... JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS  
 २७ के० गुप्ता Case No. 600.40.5 of 2016  
 मायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

Date of order of Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties of pleaders where Necessary
24-12-16	<p>आज आरक्षी केन्द्र <u>श्री</u> के उपनिरीक्षक / सहायक उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक <u>मेरिश्वाणि</u> अपराध क० <u>1087</u> द्वारा थाना प्रभारी की ओर से अपराध क० <u>अंतर्गत धारा 34 अपराध 190-1</u> दण्डनीय भा० द० स० / अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>राज्य द्वारा ए० डी० पी० ००० श्री <u>प्रदीप सिंह सिक्कार</u> उप०।</p> <p>अभियुक्त / अभियुक्तगण <u>मंगल गुप्ता 8/0 राजु गुप्ता उम्र 20</u></p> <p><u>स्वा</u> निवासी / निवासीगण <u>दिल्लिया</u></p> <p>थाना <u>जाल्मी</u> जिला <u>जाल्मी</u> राज्य <u>उ० प्र०</u></p> <p>उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री <u>मेमोरेण्डम / वकालतनामा</u> प्रस्तुत किया।</p> <p>अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा० द० स० / अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द० प्र० स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी <u>600.40.5/16</u> में दर्ज किया जावे।</p> <p>अभियुक्त / अभियुक्तगण द० प्र० स० की धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।</p> <p>चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000/- (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त</p>	

मंगल



चूँकि मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 343A Cr.P.C. भा0दं0सं0 / अभियुक्त की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति X रुपये राजसात किये जायें।/संपत्ति 2/ मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta  
Judicial magistrate first class,  
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 5000/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद 84 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta  
Judicial magistrate first class